



THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.

THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

JUNGLE CAMPS INDIA LIMITED

CIN: U55101DL2002PLC116282



Scan this QR Code to view the Prospectus

THE COMMENCEMENT OF TRADING OF THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY ON THE SME PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE") SHALL BE WITH EFFECT FROM TUESDAY, DECEMBER 17, 2024

Our Company was originally incorporated as "Pench Jungle Resorts Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated July 22, 2002, issued by the Registrar of Companies, Delhi. Subsequently, the name of our Company was changed to "Jungle Camps India Private Limited" pursuant to shareholders resolution passed at Extra-ordinary General Meeting held on January 02, 2024. A fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Delhi on February 15, 2024. Thereafter, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to shareholders resolution passed at Extra-ordinary General Meeting held on April 23, 2024, and the name of our Company was changed to "Jungle Camps India Limited". A fresh Certificate of Incorporation consequent upon Conversion from Private Limited Company to Public Limited Company was issued by the Registrar of Companies, Delhi on June 13, 2024. The Corporate Identification Number of our Company is U55101DL2002PLC116282. For details of change in registered office of our Company, please refer to chapter titled "Our History and Certain Other Corporate Matters" beginning on page 204 of Prospectus.

Registered office: 221-222/9, 2nd Floor, Som Dutt Chamber-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066, India | Telephone: 011-41749354 | E-mail: legal@junglecampsinia.com | Website: www.junglecampsinia.com;

Contact Person: Ms. Parul Shekhawat, Company Secretary & Compliance Officer

**PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. GAJENDRA SINGH, MS. LAXMI RATHORE, MR. YASHOVARDHAN RATHORE,
MR. RANVIJAY SINGH RATHORE AND G S RATHORE HUF****ISSUE WAS MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED (SME PLATFORM).**

Our company has filed Prospectus dated December 12, 2024 with Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana. The Equity shares are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited (SME Platform) and trading will commence on Tuesday, December 17, 2024.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO 40,86,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 72/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 62/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 2942.21 LAKHS ("ISSUE"). THIS ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 2,04,800 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 147.46 LAKHS FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE SHALL CONSTITUTE 26.37 % AND 25.05 %, RESPECTIVELY, OF THE POST-ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, RESPECTIVELY. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10.00 EACH.

RISKS TO INVESTORS

- Our Equity Shares have never been publicly traded, and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market and the price of our Equity Shares may be volatile and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.
- The Book Running Lead Manager (BRLM) associated with the Issue has handled 08 (Eight) public SME issues and 02 (Two) Main Board Issues in the past three years out of which none of the Issues closed below the Issue Price on Listing date.
- The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is as follows:

Sr. No.	Name of the Promoters	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)*
1.	Mr. Gajendra Singh	35,14,441	7.04
2.	Mr. Laxmi Rathore	22,87,860	4.84
3.	Ms. Yashovardhan Rathore	14,70,384	5.31
4.	Mr. Ranvijay Singh Rathore	9,46,450	4.75
5.	GS Rathore (HUF)	6,66,368	3.13

*The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters has been calculated by taking into account the amount paid by them to acquire shares as reduced by the amount received on sale of shares i.e., net of sale consideration is divided by net quantity of shares acquired.

- Weighted average cost of acquisition:

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue of shares in last one (1) year preceding the date of RHP	34.55*
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue of shares in last eighteen (18) months preceding the date of RHP	35.00*
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue of shares in last three (3) years preceding the date of RHP	39.85*

* While calculating Weighted average cost of acquisition of primary issuances / secondary transactions, the effect of bonus shares is not taken.

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS: MONDAY, DECEMBER 09, 2024**BID/ISSUE OPENED ON: TUESDAY, DECEMBER 10, 2024****BID/ISSUE CLOSED ON: THURSDAY DECEMBER 12, 2024****ISSUE PRICE: ₹ 72/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH.
ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE: ₹ 72/- PER EQUITY SHARE
THE ISSUE PRICE IS 7.2 TIMES OF THE FACE VALUE**

This Issue was made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLM may allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, please refer to the chapter titled "Issue Procedure" on page 335 of the Prospectus.

The Company received 4 Anchor Investor Application Forms from 4 Anchor Investors (including Nil mutual funds through Nil Mutual Fund schemes) for 12,48,000 Equity Shares. 4 Anchor Investors through Anchor Investor Application Forms were allocated 11,63,200 Equity Shares at a price of ₹72/- per Equity Share under the Anchor Investor Portion aggregating to ₹ 837.50 Lakhs.

After removing multiple and duplicate bids, bids (UPI Mandates) not accepted by investors / blocked, bids rejected under application banked but bid not registered and valid rejections cases from the 'Bid Book', the Issue was subscribed 455.20 times (excluding the Anchor Investor Portion).

Detail of the Applications Received:

CATEGORY	NUMBER OF APPLICATIONS	NO OF EQUITY SHARES	RESERVED
Qualified Institutional Buyers (excluding Anchor Portion)	82	15,35,82,400	7,37,600
Retail Individual Investors	4,59,590	73,53,44,000	13,60,000
Non-Institutional Bidders	23,509	44,14,17,600	5,82,400
Market Maker	1	2,04,800	2,04,800
Mutual Fund	1	1,04,000	38,400
TOTAL	4,83,183	1,33,06,52,800	29,23,200

Final Demand

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/Issue Closing Date at different Bid Prices is as under:

Sr. no.	Price	No of application	Sum quantity	Cumulative share	Percentage%
1	68.00	331	5,71,200	5,71,200	0.04
2	69.00	33	54,400	54,400	0.00
3	70.00	110	2,12,800	2,12,800	0.02
4	71.00	61	1,08,800	1,08,800	0.01
5	72.00	1,73,459	83,75,07,200	83,75,07,200	61.93
6	CUT OFF	3,21,209	51,39,34,400	51,39,34,400	38.00
Total	4,95,203	1,35,23,88,800	1,35,23,88,800	100.00	

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE on December 13, 2024

1) **Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of ₹ 72.00 per equity shares, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 540.69 times i.e., for 73,53,44,000 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 13,60,000 Equity Shares to 850 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants		Total No. of shares allocated/ allotted
								Before Rounding off	After Rounding off	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1600	459590	100.00	735344000	100.00	1360000	3	1600	85	45959
Grand Total	459590	100.00	735344000	100.00	1360000					

2) **Allocation to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, who have bid at Issue Price of ₹ 72.00 per equity shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 757.93 times i.e., for 44,14,17,600 Equity Shares the total number of shares allotted in this category is 5,82,400 Equity Shares to 353 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	Proportionate shares available	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/ allotted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3200	15416	65.57	49331200	11.18	65087	1	37

(Continued from previous page...)

108	200000	5	0.02	1000000	0.23	1319	1	5	1600
109	203200	1	0.00	203200	0.05	268	0	1	0
110	204800	9	0.04	1843200	0.42	2432	2	9	3200
111	208000	4	0.02	832000	0.19	1098	1	4	1600
112	209600	2	0.01	419200	0.09	553	0	1	0
113	211200	1	0.00	211200	0.05	279	0	1	0
114	212800	3	0.01	638400	0.14	842	1	3	1600
115	214400	3	0.01	643200	0.15	849	1	3	1600
116	216000	6	0.03	1296000	0.29	1710	1	6	1600
117	219200	3	0.01	657600	0.15	868	1	3	1600
118	220800	4	0.02	883200	0.20	1165	1	4	1600
119	224000	1	0.00	224000	0.05	296	0	1	0
120	227200	1	0.00	227200	0.05	300	0	1	0
121	228800	4	0.02	915200	0.21	1208	1	4	1600
122	240000	8	0.03	1920000	0.43	2533	1	4	3200
123	248000	1	0.00	248000	0.06	327	0	1	0
124	256000	1	0.00	256000	0.06	338	0	1	0
125	268800	1	0.00	268800	0.06	355	0	1	0
126	270400	3	0.01	811200	0.18	1070	1	3	1600
127	273600	1	0.00	273600	0.06	361	0	1	0
128	276800	3	0.01	830400	0.19	1096	1	3	1600
129	278400	8	0.03	2227200	0.50	2939	1	4	3200
130	280000	1	0.00	280000	0.06	369	0	1	0
131	286400	1	0.00	286400	0.06	378	0	1	0
132	288000	3	0.01	864000	0.20	1140	1	3	1600
133	294400	3	0.01	883200	0.20	1165	1	3	1600
134	299200	2	0.01	598400	0.14	790	0	1	0
135	302400	3	0.01	907200	0.21	1197	1	3	1600
136	305600	1	0.00	305600	0.07	403	0	1	0
137	308800	1	0.00	308800	0.07	407	0	1	0
138	310400	2	0.01	620800	0.14	819	1	2	1600
139	312000	1	0.00	312000	0.07	412	0	1	0
140	318400	1	0.00	318400	0.07	420	0	1	0
141	320000	10	0.04	3200000	0.72	4222	3	10	4800
142	321600	1	0.00	321600	0.07	424	0	1	0
143	323200	1	0.00	323200	0.07	426	0	1	0
144	328000	1	0.00	328000	0.07	433	0	1	0
145	336000	3	0.01	1008000	0.23	1330	1	3	1600
146	337600	1	0.00	337600	0.08	445	0	1	0
147	347200	2	0.01	694400	0.16	916	1	2	1600
148	360000	2	0.01	720000	0.16	950	1	2	1600
149	361600	2	0.01	723200	0.16	954	1	2	1600
150	366400	1	0.00	366400	0.08	483	0	1	0
151	371200	1	0.00	371200	0.08	490	0	1	0
152	382400	1	0.00	382400	0.09	505	0	1	0
153	384000	2	0.01	768000	0.17	1013	1	2	1600
154	385600	1	0.00	385600	0.09	509	0	1	0
155	398400	2	0.01	796800	0.18	1051	1	2	1600
156	400000	1	0.00	400000	0.09	528	0	1	0
157	401600	1	0.00	401600	0.09	530	0	1	0
158	417600	3	0.01	1252800	0.28	1653	1	3	1600
159	424000	3	0.01	1272000	0.29	1678	1	3	1600
160	457600	1	0.00	457600	0.10	604	0	1	0
161	480000	3	0.01	1440000	0.33	1900	1	3	1600
162	481600	1	0.00	481600	0.11	635	0	1	0
163	484800	1	0.00	484800	0.11	640	0	1	0
164	489600	1	0.00	489600	0.11	646	0	1	0
165	491200	1	0.00	491200	0.11	648	0	1	0
166	496000	3	0.01	1488000	0.34	1963	1	3	1600
167	504000	2	0.01	1008000	0.23	1330	1	2	1600
168	505600	1	0.00	505600	0.11	667	0	1	0
169	507200	1	0.00	507200	0.11	669	0	1	0
170	508800	1	0.00	508800	0.12	671	0	1	0
171	510400	1	0.00	510400	0.12	673	0	1	0
172	513600	3	0.01	1504800	0.35	2033	1	3	1600
173	515200	2	0.01	1030400	0.23	1359	1	2	1600
174	516800	1	0.00	516800	0.12	682	0	1	0
175	518400	1	0.00	518400	0.12	684	0	1	0
176	529600	1	0.00	529600	0.12	699	0	1	0
177	532800	1	0.00	532800	0.12	703	0	1	0
178	534400	2	0.01	1068800	0.24	1410	1	2	1600
179	555200	3	0.01	1665600	0.38	2198	1	3	1600
180	560000	2	0.01	1120000	0.25	1478	1	2	1600
181	579200	1	0.00	579200	0.13	764	0	1	0
182	584000	1	0.00	584000	0.13	771	0	1	0
183	588800	1	0.00	588800	0.13	777	0	1	0
184	596800	1	0.00	596800	0.14	787	0	1	0
185	609600	1	0.00	609600	0.14	804	1	1	1600
186	619200	3	0.01	1857600	0.42	2451	2	3	3200
187	622400	2	0.01	1244800	0.28	1642	1	2	1600
188	624000	5	0.02	3120000	0.71	4116	3	5	4800
189	628800	1	0.00	628800	0.14	830	1	1	1600
190	651200	1	0.00	651200	0.15</				

राज्यसभा के समाप्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस

यदि अध्यक्ष को पक्षपाता माना जाता है, तो इससे संसदाय कायवाहो में विश्वास कम हो सकता है और विधायी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो सकता है। अध्यक्ष के कार्यों में पक्षपात की धारणा के परिणामस्वरूप जनता में यह धारणा बन सकती है कि

संसद को एक पार्टी के हितों की सेवा के लिए हेरफेर किया जा रहा है। पक्षपात्र पूर्ण अध्यक्ष संसद के भीतर राजनीतिक विभाजन को बढ़ा सकता है, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में, सरकार और विपक्ष अध्यक्ष के निर्णयों को चुनौती देने के लिए चरम रणनीति का सहारा ले सकते हैं, जिससे संसद में विपक्षीयों की विजय हो सकती है।

आधक शत्रुतापूर्ण आर कम उत्पादक वातावरण बन सकता है



**प्रियंका सौरभ
लेखक**

रा ज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्ष खेमे ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। भारतीय संसद के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जहां राज्यसभा में किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास का नोटिस आया हो। दरअसल, यह मौका इसलिए सामने आया, क्योंकि सभापति के सदन में रुख से सभी विपक्षी दल नारुख्या थे। विपक्ष का आरोप है कि सभापति हमेशा सत्तारूढ़ खेमे का पक्ष लेते हैं और विपक्ष की आवाज दबाते हैं। विपक्ष आसन को निष्पक्ष देखना चाहता है, लेकिन पिछली लोकसभा के बाद जब 18वीं लोकसभा में भी राज्यसभा में चीजें नहीं बदलीं तो पिछले सत्र में प्रस्ताव लाने की चर्चा चलाकर विपक्ष ने कोई कड़ा कदम उठाने का संदेश देने की कोशिश की। संसद में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका टटस्थित बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि संसदीय कार्यवाही निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से संचालित हो। हाल ही में, विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ

अविश्वास प्रस्ताव उठाया, जिसमें उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया गया। यह स्थिति लोकतात्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता के लिए प्रमुख नेतृत्व भूमिकाओं में निष्पक्षता बनाए रखने के महत्व को उजागर करती है। संसदीय कार्यवाही की तटस्थिति बनाए रखने में संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका बहस में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। पीठासीन अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी सांसदों को, चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बद्ध हों, बहस में भाग लेने के समान अवसर दिए जाएँ। निर्णयों में निष्पक्षता: अध्यक्ष द्वारा किए गए निर्णय पक्षपातपूर्ण झुकाव के बजाय संसदीय प्रक्रियाओं पर आधारित होने चाहिए। अध्यक्ष को सकरात और विषय के बीच संघर्षों में मध्यस्थित करनी चाहिए, शिष्टाचार बनाए रखते हुए रचनात्मक संचाद के लिए जाह बनानी चाहिए। एक तटस्थ पीठासीन अधिकारी संसद की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, लोकतात्रिक बहस के लिए अनुकूल वातावरण

का बढ़ावा दाता है। यदि अध्यक्ष करने तटस्थ माना जाता है, तो संसदीय प्रणाली में विश्वास मजबूत होता है जिससे स्वत्थ लोकतांत्रिक चर्चाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि यू.के. जैसे परिपक्व लोकतांत्रिक में देखा जाता है। संसदीय संस्था की वैधता को रक्षा के लिए पीठासीन अधिकारी को हमेशा निष्पक्षता का प्रदर्शन करना चाहिए। यदि अध्यक्ष को पक्षपाता माना जाता है, तो इससे संसदीय कार्यवाही में विश्वास कम हो सकता है और विधायी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो सकता है। अध्यक्ष के कार्यों में पक्षपाता की धारणा वे परिणामस्वरूप जनता में यह धारणा बन सकती है कि संसद को एक पार्टी के हितों की सेवा के लिए हरफें किया जा रहा है। पक्षपातपूर्ण अध्यक्ष संसद के भीतर राजनीतिक विभाजनों को बढ़ा सकता है, जिससे सरकार और विधायकों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। ऐसे परिवृश्य में, सरकार और विधायकों के नियन्यों को चुनौती देने के लिए चरम रणनीति का सहारा ले सकते हैं, जिससे संसद में अधिक शरुतापूर्ण और कम उत्पादक

वातावरण बन सकता है। अध्यक्ष में कथित पक्षपात संसद की संस्था को ही कमज़ोर करता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यदि अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण है, तो संसद के भीतर यजवादहें के तंत्र विफल हो सकते हैं, जिससे अनियन्त्रित कार्यकारी शक्ति की अनुमति मिलती है। यदि अध्यक्ष को किसी एक राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करते हुए देखा जाता है, तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जनता का मोहब्बत हो सकता है। पीठासीन अधिकारी की भूमिका के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने से निर्णय लेने में निरंतरता और निष्क्रियता बनाए रखने में मदद मिलेगी। यू.के. संसद में, अध्यक्ष एक औपचारिक आचार संहितामय कालानन्द करता है जो तटस्थित सुनिश्चित करता है, पक्षपात प्रसंग चिंताओं को दूर करने और संसदीय कार्यालयी में पारदर्शिता को बढ़ाव देने में मदद करता है। पीठासीन अधिकारियों के लिए लंबे कार्यकाल सुनिश्चित करने से उन्हें अपनी नेतृत्व

भूमिकाओं में विश्वास, स्थिरता और तटस्थित बनाने की अनुमति मिल सकती है। जर्मन बुंडेस्टैग अध्यक्ष का निश्चित कार्यकाल दीर्घकालिक नेतृत्व स्थिरता सुनिश्चित करता है। राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान भी पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने की धारणा को कम करता है। अध्यक्ष के निर्णयों की समाक्षा करने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र शुरू करने से अधिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है और पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों को रोका जा सकता है। पीठासीन अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें संसदीय कार्यवाही की जिलाताओं को निष्पक्ष रूप से संभालने के लिए आवश्यक कौशल से लैस कर सकते हैं। निष्पक्ष निर्णय लेने और संघर्ष समाधान पर केंद्रित नेतृत्व प्रशिक्षण अध्यक्ष को तटस्थित बनाने रखते हुए राजनीतिक दबावों को बेहतर ढग से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। संसदीय समितियों और चाचाओं में द्विलोकीय सहयोग को बढ़ावा देने से निर्णय लेने के लिए अधिक संतुलित वृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है। संसदीय

सामान्यों के भातर अतर-दलाय संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करने से मतभेदों को दूर करने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकार और विपक्ष के बीच मध्यस्थित में अध्यक्ष तटस्थ रहें। संसदीय कार्यवाही की तटस्थित सुनिश्चित करने में संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, अध्यक्ष के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, द्विलोयी सहयोग को बढ़ावा देना और स्पष्ट दिशा-निर्देशों और लंबे कार्यकाल के माध्यम से निष्पक्ष नेतृत्व सुनिश्चित करना आवश्यक है। दरअसल, इसके जरिए विपक्ष कहीं न कहीं संसद के दोनों सदनों में आसन को एक सदेश देना चाह रही है कि अग्र आसन निष्पक्ष नहीं दिखता है तो विपक्ष अपने संवैधानिक अधिकारों को इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाएगा। पिछले सत्र में लोकसभा स्पीकर को लेकर भी राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा थी।

ਕਹਾ ਥਮਗਾ ਤਜਾ ਦੁ ਬਢ਼ਤਾ ਹਵਾ ਆਰ ਅਪਦਾਖ ਕਾ ਪ੍ਰਵੂਤ

मूर्मिका निभा रही है। आज का मनुष्य भोगी, भौतिकवादी, अति महत्वाकांक्षी त है ही, टी वी पर दिखाये जाने वाले आर्क्षक, लुभावने विज्ञापन, कार्यक्रम उसे और अधिक भौतिकवादी, भोगवादी बनाये जा रहे हैं। टी वी संस्कृति के ये लुभावन विज्ञापन व कार्यक्रम आदमी से इच्छा और आवश्यकता में अंतर करने का विवेच छीन रहे हैं, कर्मण्यता, कर्तव्यनिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं।



ਨੂਰ ਸਤਿਖਪੁਰੀ
ਲੇਖਕ

आ ज हमार दश म हो नहा,
अपितु लगभग प्रत्येक
छोटे-बड़े देशों में भिन्न-
भिन्न कराणों से हिंसा और अपराधों
से संबंधित घटनाओं में वृद्धि हुई है।
शायद ही धरती का कोई टुकड़ा ऐसा
हो जो हिंसा, आतंक और भय से मुक्त
हो। हम यहां अपने देश में तेजी से फैल
व बढ़ रही है हिंसक तथा आपराधिक
प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। ऐसी प्रवृत्ति
को प्रायः मनुष्य के अंदर फैली बर्चनी
और अशार्ति से जोड़कर देखा जाता
है। उच्च-शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, अल्प
शिक्षित, अशिक्षित, धार्मिक, नास्तिक
आदि कोई व्यक्ति भी आज ऐसा दिखाई
नहीं देता, जो शांत, प्रसन्नचित्त तथा
सरलचित्त हो। और तो और, युवा वर्ग
के अतिरिक्त किशोर वर्ग के बच्चे भी
आजकल मानसिक बोझ व परेनियनों
के नीचे दबे दिखाई देते हैं। वे
अनचाही, अनावश्यक धूटन व भय से
घिरे कई कूपाठाओं व मानसिक विकारों
से ग्रस्त हो रहे हैं। यह सच है, आज
जैसा सामाजिक वातावरण व ताना-
बाना बना दिया गया है, उसमें बच्चों

का स्वाधारक, प्राकृतक, मानसिक तथा शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। भय, आतंक, और दिंसा से भरे वातावरण में पल-बढ़ रहे बच्चों से यह उम्मीद करना कि वे बड़े होकर सल-हृदय व अहिंसक होंगे, बिल्कुल बेमानी है। अज समाज में बढ़ रही हिंसा व अपराध की समस्या के बारे में यदि हम गहराइ से विचार करें, तो हम पाते हैं कि संगीन, गंभीर तथा अति धिनौनी हिंसक व अपराधिक करावाइयों में अल्प-शिक्षित व बीमार मानसिकता वाले व्यक्ति ज्यादा शामिल पाये जाते हैं। हिंसा और अपराध के मुख्यतया दो रूप होते हैं, एक स्थूल रूप और दूसरा सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म किस्म की अपराधिक करावाइयों में शिक्षित व उच्चशिक्षित व्यक्ति भी शामिल होते हैं। इस तरह की घटनाएं ज्यादातर विकसित देशों में देखने-सुनने को पहले मिलती थी अब तो ऐसी घटनाएं भारत में भी आम होने लगी है। ऐसी घटनाओं में जानी नुकसान, माली नुकसान की अपेक्षा कम होता है या कभी होता ही नहीं। हमारे समाज और

दश का जिसन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, आरंभिक व भयभौमि का खाली है, वो स्थूल किस्म की हिंसा और आतंक है। प्राप्ति: स्थूल किस्म की हिंसा और दिशाहीन होती है, किंतु उद्देश्यहीन नर्वहार होती। भारत में जो छोटी-बड़ी हिंसक घटनाएं घटित होती हैं, या हो रही हैं उनके पाइंगे जो मुख्य कारण हैं, वे हैं व्यक्तिगत रीजिश, वर्ग-जाति आधारित रीजिश, सांप्रदायिक वैमनस्य धार्मिक उन्माद, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति आदि। वैसे तो हिंसक व अपराधिक तरीके से हुई आर्थिक क्षति को सह करना या भुला देना कठिन होता है लेकिन जिस परिवार का आधार स्तंभ कमाई करने वाला सुरक्षा देने वाला व्यक्ति अप्राकृतिक ढंग से असमर्पित कल्प कर दिया जाय, तो उस परिवार के शेष लोगों की क्या दशा होती है, यह कल्पना से परे की बात नहीं है। सरकार अधिकारियों, पुलिस, नेताओं व कानूनी की ओर से सामान्य जन को कितने मदद मिल पाती है, सुरक्षा मिल पाती है, यह तथ्य भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आम देशवासी को अब अप-

देश में न्याय मिल पाना सभव नहीं रहा
गया है। यूं लगता है, पूरा राजनीतिक
तंत्र, तथाकथित लोकतत्र, प्रशासनिक
व्यवस्था, पुलिस और कानून के बीच
ऊँचे लागें को, नेताओं-मात्रियों
उच्च-अधिकारियों, धनवानों को लाभ
पहुंचाने, सुरक्षा देने के लिए रह गए हैं
इससे जनता में अच्छे संकेत व सदेश
नहीं जाते। एक बात और, भले ही अब
घपलों-घोटालों से सीधे-सीधे को
व्यक्ति-विशेष प्रभावित न होता हो,
किंतु पूरे राज्य और देश की आर्थिक
दशा तो प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर देश की छवि भी खराब होती
है। ऐसे प्रश्न कुकृत्यों को भी संगीन
गंभीर अपराधिक कर्तव्याइयों को कोटि
में रखा जाना चाहिए। इत्तहास साक्षी है
कि हमारे देश में धर्म के नाम पर जितनी
मानव क्षति हुई है, आर्थिक उन्नति पर
विराम लगा है, इतना किसी अन्य का
कारण से नहीं हुआ है। विडेप्लॉना यह
है, कि भारत अभी भी सांप्रदायिकत
और धार्मिक उन्माद से मुक्त नहीं हो
पाया है। क्या विज्ञान और दक्षिणार्द्धी
धर्म के ढांकोसे साथ-साथ चलते

रहने ? क्या ऐसे में दश का पूरा उनान तो की ओर ले जाया जा सके ? धर्म की परिभाषा और स्वरूप वही नहीं है, जिसका वर्णन व गुणगान धार्मिक ग्रन्थों-पोथियों में किया गया है। श्वोक पढ़ा, मन्त्रोच्चारण करना, पूजा-पाठ में रत रहना ही धार्मिक होने की कोड़ी योग्यता नहीं है। धर्म, संस्कृति और अच्छे संस्कार सिखाते हैं हालिण्डी होना, दयावान, परोपकारी होना, सबक प्रति प्रेमभाव रखना, भ्रातृत्वभाव को बढ़ावा देना। परंतु आज के मनुष्य का मन विद्वेष, धृण, क्रोध, इर्षा, संकीर्णता से भरा रहता है। सहनशीलता, दया, क्षमा करने की भावना बहुत कम दिखाई देती है। फलस्वरूप समाज में अपराधों और हिंसा में बृद्धि हुई है जैसा-जैसा सीधी बात पर, छोट-छोट मतभेदों पर कई लोग मरने-मारने पर आमदा हो जाते हैं। बहुत आश्वर्य होता है, जब हम पढ़ते या सुनते हैं, कि किसी छोटी सी बात पर एक या एक से अधिक हत्याएँ फलां जगह पर हो गईं। आज का मानव इतना कठोरचित्त और हिंसक हो चुका है कि वह अपने प्रति भी

सहनशाल, सवदनशाल, सवदय नहा
रहा। छोटी-छोटी बातों के लिये अपने
प्राणों का दुश्मन बन बैठता है, और
अपनी हत्या स्वयं कर लेता है। ऐसे में
उससे आहंसक व संवेदनशील होने
की आशा करना बेकार है। वर्तमान
समय में हमारे देश में डकैती, लूट,
चोरी, अपहरण कर फिराती मांगना, न
मिलने पर हत्या कर देने की जो घटनायें
हो रही हैं, उनके पीछे मुख्य कारण
हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी,
अपर्याप्त सुरक्षा उपाय, पुलिस तथा
राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधियों और
हत्यारों को संरक्षण देना, न्याय प्रणाली
की त्रुटियाँ और आग पर घी डालने का
काम यहां फैल रही पश्चिमी सभ्यता का
नासूर कर रहा है। पश्चिमी सभ्यता का
उद्देश्य ही यही है, खूब खा-ओ-पीओ,
पहनो, मौज-मस्ती मनाओ, ऐश करो,
एच्यूओ करो। इन सब साधनों के लिये
धन की अवश्यकता होती है। जब
साधन जुट नहीं पाते, धन पास नहीं,
तो अपराधी मनोवृत्ति वाले लोग धन
प्राप्त करने हेतु चारी-डकैती, हत्यायें
करते हैं।

सुस्त विकास और महंगाई की चुनौती

वृद्धि हुई है, जबकि इसके पहले अप्रैल से जून की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस सुस्त विकास दर के परिणय से प्रभावित हुए बिना हाल ही में 6 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मान्द्रिक नीति समीक्षा बैठक में विकास दर बढ़ाने के लिए ब्याज दर में कमी नहीं करते हुए महंगाई नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने लगातार 11 बार ब्याज दर यानी नीतिगत दर (रेपो) में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। रेपो वह ब्याज दर है जिस पर कमर्शियल बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लाते हैं। आरबीआई मादास्फीति को काब

में रखने के लिए इस दर का उपयोग करता है हालांकि अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के मक्सद से रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेज्यो (सीआरआर) के 4.5 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया। इस कदम से बैंकों में 1.16 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। इससे बैंकिंग क्षेत्र में नकदी की स्थिति में सुधार होगा ज्ञातव्य है कि सीआरआर के तहत कमर्शियल बैंकों को अपनी जमा का एक निर्धारित हिस्सा कैश रिजर्व के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने मौजूदा स्थिति को देखने के लिए जीडीपी

ग्रोथ के अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। अरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई के अनुमान को भी 4.5 प्रतिशत बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि निकट भविष्य में, कुछ नरमी के बावजूद, खाद्य कीमतों पर दबाव बने रहने से चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुख्य महंगाई के ऊंचे स्तर पर बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा था कि महंगाई के मद्देनजर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभी बांड प्रतिफल में बद्धि जिस कीमतों में उत्तर-चदाव

और बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम जैसी कई तरह की बाधाएं हैं। साथ ही आयात शुल्क में वृद्धि और वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बाद घेरलू खाद्य तेल की कीमतों की बदलती दिशा पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। दास ने कहा था कि रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन के अनुमान से चावल और तुअर दाल की बढ़ी हुई कीमतों में राहत मिलेगी। सब्जियों की कीमतों में भी सुधार की उमीद है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर, खाद्य सुदारस्फीति के दबाव को कम करने के लिए एक अच्छा रबी सीजन महत्वपूर्ण होगा। प्रारंभिक संकेत पर्याप्त मिट्टी की नमी और जलाशय के स्तर की ओर इशारा करते हैं, जो रबी की बर्बादी के लिए

विकास दर बढ़े की उम्मीद है। निःसंदेह आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत महंगाई नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना सही कदम है। वस्तुतः पिछले दो महीनों अक्टूबर-नवंबर 2024 में महंगाई दर के बढ़े की स्थिति आश्वार्यचकित करने वाली रही है। पिछले माह आरबीआई ने 2 से 11 नवंबर, 2024 को परिवारों को महंगाई को लेकर कैसी उम्मीदें हैं, इस विषय पर सर्वेक्षण कराया था। आरबीआई के सर्वेक्षण से यह अंदाज़ा मिलता है कि सितंबर 2024 के चरण की तुलना में नवंबर के सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों में एक बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि नए साल 2025 में कीमतें और महंगाई दोनों ही बढ़ेंगी।

